देहरादून,पौड़ी-गढ़वाल व अल्मोड़ा से प्रकाशित | www.page3news.in | नगर संस्करण वर्ष 16 अंक: 99 पृष्ठ : 8 मूल्य: एक रूपए

विचार-प्रवाह...निश्चित समय में सजा पर अमल जरूरी

पेज थ्री

देहरादून, शुक्रवार, 16 जुलाई 2021

मौसम अधिकतम 30.0° न्यूनतम 25.0° | 42243.40 | 2 बातचीत को तैयार हुआ ड्रैगन | 7 नए बोलिंग विकल्प तलाशने होंगे

अंग्रेजों की ओर से बनाया गया था कानून

सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर जताई चिंता

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 'औपनिवेशिक काल' के राजद्रोह संबंधी दंडात्मक कानून के 'भारी दुरुपयोग' पर गुरुवार को गहरी चिंता व्यक्त की। राजद्रोह कानून को औपनिवेशिक काल की देन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया है कि आखिर इसे हटाया क्यों नहीं जा रहा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यह देश में आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए अंग्रेजों की ओर से बनाया गया कानून था।

प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए (देशद्रोह) की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक पूर्व मेजर जनरल द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करने के लिए सहमति जताते हुए पीठ ने कहा कि इसकी मुख्य चिंता कानून का दुरुपयोग है।

गैर-जमानती प्रावधान किसी भी भाषण या अभिव्यक्ति को बनाता है जो भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजित करने या असंतोष को उत्तेजित करने का प्रयास करता है। यह एक आपराधिक अपराध है जो अधिकतम आजीवन कारावास की सजा के साथ दंडनीय है।

अटार्नी (जनरल) से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं। यह औपनिवेशिक युग का कानून है और इसी कानून का इस्तेमाल अंग्रेजों ने स्वतंत्रता आंदोलन को दबाने के लिए किया था। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों ने महात्मा गांधी, गोखले और अन्य को चुप कराने के लिए किया था। क्या आजादी के 75 साल बाद भी इसे कानून में बनाए रखना जरूरी है? इस पीठ पीठ जस्टिस ए एस बोपन्ना और हृषिकेश रॉय भी शामिल थे।

अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल ने सरकार का पक्ष रखते हुए इस बात पर जोर दिया कि पूरे कानून को निकालने के बजाय इसके उपयोग पर पैरामीटर निर्धारित किए जा सकते हैं।

राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

कब बना था कानून?

यह कानून ब्रिटिश काल का है। इसे 1870 में लाया गया था। सरकार के प्रति डिसअफेक्शन रखने वालों के खिलाफ इसके तहत चार्ज लगाया जाता है। राजद्रोह के मामले में दोषी पाया जाना वाला व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। इसके अतिरिक्त उसका पासपोर्ट भी रद्द हो जाता है। जरूरत पड़ने पर उसे कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है।

क्या है राजद्रोह कानून?

भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए में राजद्रोह को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार, अगर कोई व्यक्ति सरकार-विरोधी सामग्री लिखता या बोलता है, ऐसी सामग्री का समर्थन करता है, राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने के साथ संविधान को नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124ए में राजद्रोह का मामला दर्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स देश विरोधी संगठन के खिलाफ अनजाने में भी संबंध रखता है या किसी भी प्रकार से सहयोग करता है तो वह भी राजद्रोह के दायरे में आता है।

राजद्रोह के कितने मामले?

समाज में शांति और कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए राजद्रोह कानून सरकार को ताकत देती है। मामले में याचिकाकर्ता ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया है कि 2010 में राजद्रोह के 10 केस थे और अभी 2020 में 67 पत्रकारों के खिलाफ केस कर दिया गया है। देखा जाए तो मीडिया और मीडिया कर्मियों पर राजद्रोह के नाम पर संशरशिप है। उन पर राजद्रोह के मामले बनाए जा रहे हैं। एक प्रश्न के लिखित उत्तर में राज्यसभा को बताया गया था कि साल 2020 में ही राजद्रोह के 70 से अधिक मामले सामने आए। देश के विभिन्न भागों में साल 2019 के दौरान राजद्रोह के 93 मामले दर्ज किए गए जिनमें 96 लोगों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त समाचार

उत्तराखंड-यूपी सहित इन राज्यों में भारी बारिश की अलर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) नई दिल्ली। उत्तर भारत में मानसून के आगमन के साथ ही जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली है वहीं कई जगहों पर परेशानियां बढ़ गई है। कई राज्यों में भारी बारिश के कारण पड़े तबाही मच गई है। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 4-5 दिन दिल्ली में बारिश के साथ ही हिमाचल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

सिद्धू को मिलेगी पंजाब कांग्रेस की कमान

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज) चंडीगढ़। पंजाब कांग्रेस में बीते कई दिनों से जारी आंतरिक कलह खत्म होने की राह पर है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी नेता नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस का चीफ बनाने का निर्णय किया है।

बंगाल में कानून का राज नहीं,शासक का कानून चल रहा

कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई एनएचआरसी की अंतिम रिपोर्ट

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

कोलकाता। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की ओर से कलकत्ता हाई कोर्ट को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में राज्य प्रशासन की कड़ी आलोचना की गई है। 50 पेज की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य प्रशासन ने जनता में अपना विश्वास खो दिया है। टीम ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर की धरती बंगाल में 'कानून का राज' नहीं है बल्कि यहां 'शासक का कानून' चल रहा है। रिपोर्ट में चुनाव बाद हिंसा की जांच सीबीआइ से कराने की सिफारिश की गई है। कहा गया है कि मामलों की सुनवाई राज्य के बाहर फास्ट ट्रैक अदालत गठित कर हो। इधर एनएचआरसी की रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यह बंगाल को बदनाम करने की साजिश है।

सात अलग-अलग टीमों ने की जांच

कोर्ट के आदेश के बाद कमेटी हिंसा प्रभावित गांवों से लेकर विभिन्न जगहों पर गई जहां चुनाव बाद हिंसा की शिकायतें आई थी। आयोग की टीम ने पाया कि पूरे राज्य में ऐसी स्थितियां हैं। कुछ प्राथमिक शिकायतें लेने के बाद टीम वापसी लौट आई। इसके बाद पांच टीमों का गठन किया गया। बाद में दो और टीमें बढ़ा दी गई इन टीमों ने राज्यभर में दौरा किया और सुनवाई की।

जांच रिपोर्ट में बताया गया कि कमेटी को जांच के दौरान 1900 से अधिक शिकायतें मिली हैं। इनमें ढेर सारे मामले गंभीर अपराध से संबंधित थे। दुष्कर्म, हत्या, आगजनी जैसे मामले सैकड़ों की संख्या में सामने आए जिनकी शिकायतें तक दर्ज नहीं की गई हैं। पुलिस पर लोगों का विश्वास ही नहीं है, कहीं उनकी शिकायतें सुनी नहीं जा रही है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि करीब 1979 केस को राज्य के डीजीपी को भेजा गया है ताकि मामले में एफआइआर दर्ज हो। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है अगर कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं तो आरोपित जमानत पर रिहा हो गए हैं। कमेटी ने कहा है कि राज्य में चुनाव बाद हुई हिंसा के दौरान हत्या और दुष्कर्म के बहुत सारे मामले सामने आए हैं। ऐसे मामलों की जांच सीबीआइ से कराई जाए और इस मामले की सुनवाई राज्य के बाहर हो।

काशी का श्रृंगार रुद्राक्ष के बिना अधूराः पीएम

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर समेत 1475 करोड़ की सौगात देने सुबह पहुंच गए। सुबह 10:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर वायुसेना का विमान बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उनका स्वागत करने के लिए शासन प्रशासन के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहे। पीएम को लेकर भारतीय वायुसेना का विमान एप्रन पर पहुंचा तो विमान से उतरने के बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अगवानी की।

काशी के प्रबुद्ध जनों को पीएम ने संबोधित किया। बताया कि लंबे समय बाद आपके बीच आने का मौका मिला है। बनारस का मिजाज ऐसा है कि अरसा भले लंबा हो जाए लेकिन शहर मौका मिलने पर एक साथ रस भरकर दे देता है। काशी ने बुलाया तो एक साथ विकास कार्यों की झड़ी लगा दी। महादेव के आशीर्वाद से काशीवासियों ने विकास की गंगा बहा दी है।

लोकार्पण

■ रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण

कोरोना से लड़ने की तैयारियों का लिया जायजा

लोगों को संबोधित करने के बाद पीएम बीएचयू एमसीएच विंग गए और 18 कोरोना योद्धाओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर से बचाव के लिए चल रही तैयारियों को लेकर विशेषज्ञों से बात कर तैयारियों का निरीक्षण किया।

सैकड़ों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। काशी का वैभव आधुनिक स्वरुप के अस्तित्व में आ रहा है। बाबा की नगरी थमती और रुकती नहीं है। भारत के परम मित्र जापान और पीएम के साथ जापान के राजदूत को भी धन्यवाद देता हूं। जापान के पीएम का संदेश देखा। उनकी वजह से यह उपहार मिला है।

Are you Planning to make a Website or already have ?

If yes, then we are here to serve you

What we do

Website Development
All type of Websites E-Commerce, Hotel Booking, Travel, Bus Ticket Booking, News Portal, Blogs, or as per client requirement.

Promotion & Branding
1. Website Promotion & Branding in any country (200+ Countries)
2. Social Media
3. Bulk SMS

Search Engine Optimisation
A-2-Z Work to make a Website Search Engine Friendly.
You tell us, we do it.

Gadoli Media Ventures
Contact: Shivam Market, 2nd Floor, Darshan Lal Chowk, Dehra Dun. I Mob: 9319700701, 7579011930
E-Mail: contact@gadoli.in

तीसरी लहर के शुरुआती चरण में दुनिया

एजेंसी (वेब वार्ता न्यूज)

जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुखिया टेड्रोस अधनोम ने चेतावनी दी है कि दुनिया कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शुरुआती चरण पहुंच गई है। दुनियाभर में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने यह ताजा चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से हम कोरोना वायरस की तीसरी लहर के शुरुआती चरण में पहुंच गए हैं। उन्होंने बताया कि डेल्टा वेरिएंट अब दुनिया के 111 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है।

डब्ल्यूएचओ ने डेल्टा वेरिएंट पर दी चेतावनी

टेड्रोस ने कहा, डेल्टा वेरिएंट के बारे में हम अपेक्षा कर रहे हैं कि अगर अभी नहीं है तो यह जल्द ही पूरी दुनिया सबसे प्रभावी वेरिएंट बन जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस लगातार विकसित हो रहा है और अपने रूप बदल रहा है। इसकी वजह से ज्यादा संक्रमण फैलाने वाले वेरिएंट दुनिया में आ रहे हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा कि वैक्सीन लगाए जाने की वजह से कुछ समय के लिए कोरोना वायरस के मामलों में कमी आई थी लेकिन अभी यह फिर से बढ़ गए हैं।